रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 1994/फाल्गुन 18, 1915

No. 113] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 1994/PHALGUNA 18, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1994

सं. 66/94—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 309 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी ।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	180/88–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 मई, 1988	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "प्रेशर कुकर और प्रैशर कुकर के पुर्जों से भिन्न, मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं और उनके पुर्जे" प्रविष्टि रखी जाएगी ।
2.	41/94–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1994	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 4 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "प्रेशर कुकर और प्रैशर कुकर के पुर्जों से भिन्न, मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं और उनके पुर्जे" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. बी/31/1/94-टीआरयू]
सुशील सोलंकी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 1994

NO. 66/94—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 309 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
	180/88-Central Excises, dated the 13th May, 1988	In the Table annexed to the said notification against S.No. 4, for the entry in column (3), the entry, "Table, kitchen or other household articles and parts thereof, other than pressure cookers and parts of pressure cookers" shall be substituted.
	41/94-Central Excises, dated the 1st March, 1994	In the Table annexed to the said notification, against S.No. 4, for the entry in column (3), the entry "Table, kitchen or other household articles and parts thereof, other than pressure cookers and parts of pressure cookers" shall be substituted.

[F.No. B-31/1/94-TRU]
SUSHIL SOLANKI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994